''समान नागरिक संहिता की भूमिका भारत की पूर्वोत्तर जनजाति विशेष के सन्दर्भ में''

डॉ० रेखा पाण्डेय

एसोसिएट प्रोफेसर
विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग
भगवानदीन आर्यकन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय लखीमपुर खीरी

शोध सारांश

समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड़ देश के सभी धर्मों समुदायों के लिये एक समान कानून बनाने की वकालत की गई है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य देश के सभी समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के भाग– IVके अनुच्छेद–44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक कानून बनाने का आह्वान करता हैं।[1], जो सभी पंथों के लिये विवाह, तलाक, भरण–पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दो में कहा जाए तो अलग–अलग पंथों के लिये अलग–अलग सिविल कानून होना ही 'समान नागरिक संहिता' की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानून से ऊपर है। वर्तमान समय में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रन्थों द्वारा शासित होते है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ (भारतीय जनता पार्टी) पार्टी द्वारा किए गए विवादस्पद विषयों में से एक है। धर्म निरपेक्षता जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है वह विभिन्न जातियों, जनजातियों एवम् धार्मिक रीति–रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और सम्प्रदायों द्वारा एक विवादित विषय बना हुआ है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी लगभग 10.45 करोड़ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग–अलग है। इसी बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25–28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारण्टी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद–44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल समान नागरिक संहिता संबंधित कानून को लागू करने पर भारत के पूर्वी राज्यों की जनजातियों के विरोध का कारण अपनी पम्परागत संस्कृति को बनाये रखने का पूर्णतः प्रयास किया जाये और समस्त भारत के नागरिकों के लिए एक समान संहिता सुनिश्चित करें (अनुच्छेद–44)। उक्त शोध पत्र वर्तमान में उभरती सामाजिक समस्याओं पर आधारित है जो कि वर्णानात्मक पद्धति पर आधारित है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीय आकड़ों के आधार पर तथ्यों का संकलन कर शोध पत्र को लिखा गया। [2]

मूल शब्द :– समान नागरिकता संहिता, भारतीय नागरिक, समाजिक मुद्दे, कानून अनुच्छेद–44, संविधान, स्वत्रंता, समानता, भाग–4 समुदाय आदि।

प्रस्तावना :–

फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता का विचार स्वतंत्रता (1947) पूर्व से ही भारत में चर्चा का विषय बना हुआ। परन्तु अब वह मुख्यतः भारतीय संविधान का मुद्दा बन गया है, क्योंकि स्वतंत्रता पश्चात देश का जो संविधान बना उसमें **'समान नागरिक संहिता'** के नाम से इसकी एक विधिवत् धारा शामिल कर दी गई थी। इसे भारतीय संविधान के भाग–4 में नीति निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद–44 में निहित है; जो इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।[3] पूरे देश के लिये समान नागरिक संहिता बनाने का विचार पहले से चला आ

रहा है। संभवतः इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति **1928 में नेहरू रिपोर्ट** के रूप में हुई। नेहरू रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्रता भारत के संविधान का एक अग्रिम मसौदा था जिसको प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ **मोतीलाल नेहरू** ने तैयार किया। इस संवैधानिक मसौदे ने स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों एवं जातियाँ एवं जनजातियों के लिए सम्पूर्ण भारत में समान राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उस समय इसमें भारत के लिये औपनिवेशिक स्तर की बात कही गयी थी। जो कि अंग्रेजों को स्वीकार नहीं थी।[4] हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केन्द्र सरकार से कहा है कि मौजूदा वक्त में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। आयोग का मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्याओं का हल नहीं है बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सके।

सन् 1985 में **समान नागरिक संहिता** के मुद्दे को एक नया संवैधानिक महत्व प्राप्त हो गया जब भूतपूर्व न्यायाधीश **श्री०वाई०वी० चन्द्रचूड़** के निर्णय से उन्होंने कहा कि **''जरूरत महसूस है कि भारतीय संविधान की धारा–44 के अन्तर्गत कानून बनाना समय की मांग है तथा यह कि समान नागरिक संहिता एवं राष्ट्रीय एकता को एक साथ लाने में सहायक होगी।''[5]**

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह तथा **न्यायमूर्ति आर०एम० सहाय** ने कहा भारतीय संविधान की धारा–44 के अनुसार, **''समान नागरिक संहिता को लागू करना राष्ट्रीय स्थिरता की ओर एक निर्णायक कदम है। इसका कोई भी औचित्य नहीं कि किसी भी कारण से देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में देरी की जाये।''**[6] विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के बजाय सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है संहिता बद्ध करने पर यह व्यक्ति कुछ हद तक दुनिया के उन सिद्धान्तों तक पहुँच सकता है जो समान संहिता की बजाय समानता को लागू करने को प्राथमिकता देता है।

डॉ० बी०आर० अम्बेडकर के अनुसार, ''मैं व्यक्गित रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी धर्म (मजहब) को यह विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म, जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिये मिली है। हमारी सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव इत्यादि से भरी है। यह स्वतंत्रता हमे इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वही सुधार हो सके।[7]

भारतीय संविधान अनुच्छेद–44 क्या है– अनुच्छेद–44 के अनुसार राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता, बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद–44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बनाए रखना है।[8]

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता :–

अलग–अलग धर्मों के लिए अलग–अलग कानून से न्याय प्रणाली पर वादों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले का जल्द ही निपटारा हो जाएगा। शादी, तलाक गोद लेना और सम्पत्ति के (भूमि धन सम्पत्ति जिस पर किसी का अधिकार न हो) के बंटवारे इत्यादि सभी के लिए एक जैसे कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म एवं जाति, जनजाति के क्यों न हो। वर्तमान में देखा जाए हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ/निजी कानूनों के तहत करते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से भारत की राजनीति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद रहेगी है।

समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होगे, चाहे वह किसी भी धर्म में विश्वास रखते है। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता'[9] शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना चाहिए।

विरोध करने वालो का तर्क :– समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिन्दू कानून को लागू करने जैसा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 में निहित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के विरूद्ध है। धर्मनिरपेक्ष देश में पर्सनल–लॉ में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता के लागू होने से धार्मिक स्वतत्रंता का ध्यान भी रखा जाए। **अमेरिका, आयरलैण्ड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया सूडान, इजिप्ट** जैसे कई अन्य देश है; जिनमें समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लागू किया गया है। इनमें से कुछ देशों के मानवाधिकार संगठन समान नागरिक संहिता से सहमत भी नहीं है।[10] भारत का एकमात्र राज्य **'गोवा'** जो उस समय पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अधीन होने के कारण ब्रिटिश भारत से अलग था, वहां एक समान कानून को बरकरार रखने में सफल है। जिसे **'गोवा नागरिक संहिता'** के नाम से जाना जाता था। इसलिए यह आज तक **'समान नागरिक संहिता'** वाला भारत का एकमात्र राज्य है।[11]

आज जिस प्रावधान पर देश में बहस हो रही है वो देश के एक राज्य में आज से नही बल्कि सन् वर्ष 1867 से लागू है। हालांकि सही मायने में देखे तो यह कानून सन् 1867 में बनाया गया था लेकिन इसे गोवा में लागू वर्ष 1869 में लागू किया गया था। गोवा नागरिक संहिता 1961 अधिनियमित है। यह गोवा के सभी नागरिकों पर लागू होता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों द्वारा अपनी अलग सभ्यता एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग–अलग जातियों एवं समुदाय के लोग अपने समुदाय में वैवाहिक संबंध बनाते है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है; तो आदिवासी समुदाय में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने एवं सम्पत्ति के उत्तराधिकारी जैसी परम्परागत संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।[12]

संक्षेप में आदिवासी समाज अपनी संस्कृति व जनजाति की पहचान को रखना चाहती है। यही कारण है उनका समान नागरिक संहिता जैसे एक समान जैसे एक समान कानून का विरोध करने का आदिवासी समाज पर हिन्दू विवाह अधिनियम जैसा कोई कानून लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के अनुसार हिन्दुओं में द्विविवाह, अमानवीय एवं दण्डनीय है; परन्तु आदिवासी समाज पर यह कानून लागू नहीं होता है, यही कारण है कि जनजाति समुदायों में बहुपत्नी व बहुपत्ति प्रथा की परम्परा आज भी कायम है और यह परम्परा आज तक कायम रहेगी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौज क्षेत्र की जनजातियाँ, उत्तराखण्ड के जॉन भॉवर क्षेत्र की जनजातियाँ एवं केरल की टूण्डा जनजातियों में बहुपत्ति की प्रथा का रिवाज है। ऐसी मान्यता है कि पैतृक सम्पत्ति में बंटवारे को रोकने के लिए इन समुदायों में बहुपत्ति का प्रचलन है। हालांकि इस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता अतः कि आदिवासी समाज में 'मात्रात्मक समाज' रहा है। इसके अलावा लिंगानुपात का स्तर भी जनजाति समुदाय में अन्य समुदायों से अधिक है। इन्ही वजहों से आदिवासी समुदाय में बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में है। इनके नगर व समुदाय शादी–विवाह के मामले में खुद के प्राकृतिक रीति–रिवाज का पालन करते आऐ है।[13]

समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय क्यों :–

इसे लेकर पूरे देश में बहस बनी हुई है, इसके प्रारूप एवं प्रावधान कैसे होगे यह चर्चा का भी एक विषय बना हुआ है। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर देश का अल्पसंख्यक वर्ग ही चिंतित नहीं है। इस समय इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है ''**आदिवासी समुदाय**'' भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाला आदिवासी समुदाय को डर है कि समान नागरिक संहिता कहीं उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक मान्यताओं को समाप्त न कर दे जिससे वे सदियों से संरक्षित करते आए है। इसलिए यह वर्ग ही इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। इस वर्ग के

विरोध ने कई बार सरकार के सामने कई मुश्किले खड़ी कर दी है।[14] झारखण्ड के लगभग 30 आदिवासियों के समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा है और 22वे विधि आयोग से इससे वापस लेने की अपील भी की जा रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों द्वारा भी इसका विरोध देखने को मिला है। यही कारण है, कि समान नागरिक संहिता को पूर्णतः लागू करने में कई प्रकार की बाधाएं आ रही है।[15]

दरअसल हमारे देश में विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाले विभिन्न जाति के लोग रहते है। जो सदियों से अपने रहन–सहन सांस्कृतिक पहनावे। परम्पराओं एवं मान्यताओं को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाए हुए है। इस आधार पर आदिवासी समाज में महिलाओं को सम्पत्ति मे मिले समानता के अधिकार भी प्राप्त नहीं था। दरअसल आदिवासियों को स्थानीय सुशासन के स्तर पर **पैसा अधिनियम के तहत कई अधिकार प्राप्त है।**[16]

पैसा अधिनियम 1996 इस अधिनियम के क्रियान्वयन की औपचारिक घोषणा जनजाति गौरव दिवस स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधानों जनजातियों के क्षेत्र में विस्तारित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह कानून रूप से आदिवासी समुदाय अधिकार के लिए प्रशासन को अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारम्परिक अधिकारों को स्वीकार करता है एवं उन्हें संरक्षित करने का अधिकार देता है। समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में पैसा अधिनियम के तहत प्राप्त आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार को बनाए रखना है। इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना ही आदिवासी समाज के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।[17]

आदिवासी समुदाय के लिए जल जंगल और जमीन महज प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि यह उनके जीवन जीने का मुख्य आधार ऐतिहासिक धरोहर रहा है। इसीलिए आदिवासी समाज की आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों द्वारा (ब्रिटिश शासन के समय) छोटा नागपुर पठार और काष्ठकारी अधिनियम और संथाल परगना काष्ठकारी अधिनियम बनाया गया था।[18]

यह एक प्रकार का भूमि अधिनियम कानून है जो आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। छोटा नागपुर काष्ठकारी अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि यह छोटी भूमि नागपुर के क्षेत्र में आदिवासियों के समुदाय स्वामित्व को कृषि करने का अधिकार देता है।

उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिन्दू दतकत्ता और भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा (2) और हिन्दू व्यस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा (3) अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते अगर संथाल जनजातियों की परम्पराओं की बात करें तो संथाल जनजाति में पुरूषों को दूसरी शादी करने की आजादी तभी है जब उनकी पहली पत्नी की मौत हो गयी है। वहीं गौंण जनजातियों के लिए विधवा विवाह को भी मान्यता दी जा रही है। इस समाज की विधवा महिलाओं की शादी अविवाहित लड़के से कर दी जाती है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में बसी **'भील जनजातियों'** में विधवा विवाह और बहुविवाह अधिनियम का प्रचलन है। भील जनजाति में विधवा विवाह और बहुविवाह का भी प्रचलन है। भील जनजाति में इस प्रथा की परम्परा नहीं है। दहेज के स्थान पर इस समुदाय में **'दाया'** नाम की एक उपहार की परम्परा है, जिसमें वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार में देता है। इसके अलावा सम्पत्ति के बंटवारे में उत्तराधिकार बनाता है। जो उनकी सामाजिक मान्यता के अनुसार चलता आया है।[19]

समान नागरिक संहिता के समर्थन में तर्क है–

इसके समर्थकों का मानना है। समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों और आदिवासी समुदाय के साथ बिना किसी भेदभाव के उन्हें एक समान सभी कानूनी अधिकार प्रदान करने में सहायक होगा। भारत में निवास कर रही लगभग 700 जनजातियों के नामों के चलते इन सभी जनजातियों के क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। इस कानून को लागू करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य लैंगिक न्याय में हस्तक्षेप कर परम्पराओं के नाम पर आदिवासी महिलाओ को सम्पत्ति के नाम पर बेदखल कर देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अंतर समान

नागरिक संहिता के दायरे में आने वाले कई आदिवासी समुदाय पर एक समान कानून लागू होने पर बहुविवाह और बहुपत्नी प्रथा जैसी परम्पराओं का अन्त होगा। समान नागरिक संहिता, विवाह उत्तराधिकार आदि के मामलो में नागरिक कानून की जटिलता को दूर करते हुए, समान नागरिक कानून के प्रणिति पर सभी समुदाय को संहिताबद्ध एवम् आदिवासी समुदाय के बीच कानूनी एकता को सुनिश्चित करना है।

इस कानून के विरोध का एक और कारण भी है। संथाल, परगना, छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। समान नागरिक संहिता लागू होने के स्थिति में दोनों कानून भी निष्क्रिय हो जाएगे। फिर संथाल परगना व छोटा नागपुर आदिवासियों की जमीन क्रय–विक्रय की श्रेणी में आ जाएगी। इसे आदिवासी समुदाय में बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप बढ़ने लगेगा। इनके प्राकृतिक संसाधन का बेहिसाब दोहन होगा। आदिवासी के विकास पर जगलों का दोहन होगा, वनो का सफाया होगा। ऐसे में आदिवासियों का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लिए जंगल कोई प्राकृतिक संसाधन न होकर बल्कि उनका आश्रय स्थल है। इसलिए यह समुदाय समान नागरिक संहिता को लेकर चिन्तित है।

समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में पंजाब, हरियाणा, चंढ़ीगढ दिल्ली और पाडुचेरी को छोड़कर लगभग सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश की लगभग 700 प्रमुख जनजातियों की 10.43 करोड़ आबादी पर असर पड़ेगा। जो कि कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हैं। कई आदिवासी बाहुबली ने भी समान नागरिक संहिता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है।[20]

पूर्वोत्तर राज्यों पर प्रभाव (विशेषकर जनजाति वाले क्षेत्रों में)

हाल ही में, जैसे ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात शुरू हुई, तभी से अनुच्छेद–371 को चर्चा का एक विषय बनाया है। अनुच्छेद–371 के तहत देश के कुछ राज्यों को **सीमित स्वायत्तता** दी गई है। जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल है। इस अनुच्छेद के अनुसार मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैण्ड एवं असम इत्यादि राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की गई है।

अनुच्छेद–371 की प्रांसगिकता को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में गहरी आशंका बनी हुई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करने वाली प्रमुख आदिवासी समुदाय को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लम्बे समय से चली आ रही है, उनकी परम्परा, रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं के साथ कहीं–न–कहीं छेड़छाड़ न हो। जिससे संविधान के अनुच्छेद–371 के माध्यम से संरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 371 (ए) के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राज्य सरकार की सहमति के बिना नागालैण्ड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक नस्लों पर लागू नहीं होता। इस अनुच्छेद के तहत नागालैण्ड के पारम्परिक कानूनों को लेकर संसद या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश लागू नहीं होता। **नागालैण्ड जनजातियाँ परिषद (NTC)** भी समान नागरिक संहिता के विरोध में आ गई है। उसका मानना है कि समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 371(ए) के प्रावधानों को कमजोर कर देगा, जिनमें कहा गया है कि **''नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित और अन्य मामलो में संसद का भी अधिनियम राज्य पर लागू नहीं होगा।''** इसके अलावा नागालैण्ड में जमीन और संसाधन कोई बाहरी व्यक्ति नही खरीद सकता इसलिए नागालैण्ड समुदाय विभिन्न जनजातियों द्वारा समान नागरिक संहिता का तीव्र विरोध किया जा रहा है। नागालैण्ड ने 22 वें विधि आयोग के सम्बन्ध में लिखा है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को विविधता एवं बहुलता को मान्यता देता है।[21] कहीं–न–कहीं इसे ऊपर उठकर एक विधि से भारतीय समाज की सभी सामाजिक मान्यताओं समाज में सभी धर्मों एवं जाति जनजातियों को एक कानून द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा सर्वप्रथम लागू करने की मांग उठी थी, लेकिन उनकी सोच एवं विचारों को कहीं–न–कहीं दबा दिया गया था। लेकिन आज हम आधुनिक सभ्यता की ओर बढ़ रहे है। इसलिए इस विधि को लागू करना कोई मुश्किल कार्य नहीं माना गया। 22 वें विधि आयोग द्वारा जैसे ही इसे लागू किये जाने लगा वहीं भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में इसके विरोध के लिए आवाज उठने लगी। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश और असम संहित कई भाषाएं शासित राज्यों ने समान

नागरिक संहिता का पालन करने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन किसी ने भी इसे आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया है।

संक्षेप में, 21वां भारतीय विधि आयोग (अध्यक्ष : न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान) इस आयोग ने विचार व्यक्त किया कि समान नागरिक संहिता लागू करना इस समय आवश्यक या वांछनीय नहीं हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने विभिन्न समुदायों से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के भीतर सुधारों का सुझाव दिया। इस प्रकार उन्होंने एकल समान कानून का प्रस्ताव करने के बजाय सभी धर्मों के अन्तर्गत न्याय और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा पारिवारिक कानूनों में संशोधन और परिवर्तन की सिफारिश की।

22 वां भारतीय विधि आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी) इस आयोग ने समान नागरिक संहिता पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें इस मुद्दे पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है। धार्मिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और सिविल सोसाइटी समूहों संहित आबादी के विभिन्न वर्गों को समान नागरिक संहिता की व्यवहार्यता, निहितार्थ और संभावित ढांचे के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

22 वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मांगे जाने से लेकर कानून बनने तक के सफर में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन आदिवासी समाज जो पहले से ही (RSS) आर०एस०एस० और उसके अनुषंगी संगठनों द्वारा आदिवासियों की पहचान मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर संशक्त था, ने अपने–अपने स्तर पर विधि आयोग की इस पहल का विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि समान नागरिक संहिता कई जनजातीय प्रथागत कानूनों और अधिकारों को कमजोर कर सकता है। हमेशा की तरह आदिवासी समाज के विरोध के स्वर सबसे पहले झारखण्ड से उठे और अब उनकी गूंज देश के विभिन्न प्रान्तों में सुनाई दे रही है।

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों को समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग की विचारानुसार, समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्यों के सामने आ सके। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. भारत का विधि आयोग (2023) समान आचार संहिता पब्लिकेशन, URL https:lawcommissionofidia.nic.in/notice/uniform.civil-code Public.notice
2. गोस्वामी, नरेश ''समान नागरिक संहिता : सवाल और सम्भावनाएँ प्रतिमान'', अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय, वॉल्यूम –10 सं०–1 पृ०सं० 39
3. मौलाना वहीदुद्दीन खान, ''समान नागरिक संहिता'', एक तर्क संगत तथा सकारात्मक अध्ययन, Good word Books 2009, पृ०स० 1
4. टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 1995
5. मौलाना वहीदुद्दीनखान, ''समान नागरिक संहिता'', पृ०स० 3
6. ''द हिन्दूस्तान टाइम्स'' (12 मई 1995)
7. Ambedkar with UCC Outlook Inida मूल से 14 अप्रैल 2016।
8. श्रीवास्तव, अखिलेश्वर लाल, ''भारत की सामाजिक समस्यायें'', इलाहाबाद, 1980, पृ०स० 264
9. मदन, डॉ० जी०आर०, ''भारत में सामाजिक विकास की समस्यायें'', दिल्ली, 1992, पृ०स० 242
10. बसु, डॉ० दुर्गादास, ''भारत का संविधान–एक परिचय'', अनुच्छेद–17, पृ०स० 95
11. मौलाना वहीदुद्दीन खान, ''समान नागरिक संहिता'', पृ०स० 09

12. सक्सेस मिरर, अगस्त 2023 पृ०स० 23
13. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक अगस्त 2023
14. Politics of Uniform Civil Code by partha's Ghosh The Hindustan time, New Delhi, May 22, 1995
15. Living with Religion by kuldeep Nayyar: The Statesmen, New Delhi May 31, 1995
16. Uniform Civil Code, Judiciary overstaps its Brief by H.M. Seeryai, The Times of New Delhi July 5, 1995
17. Personal Laws : Uniformity no Esential by Balrajpuri Indian Express, New Delhi, July 6, 1995
18. Civil Code: The Constitutional Perpective by K.C. Markandan the Hindustan Times, New Delhi, June 19, 1995.
19. सामान्य ज्ञान दर्पण 21 जून 2023
20. एम० लक्ष्मीकान्त, ''भारतीय राजनीति व्यवस्था'', चतुर्थ संस्करण MC Graw Hill Education (India) Priviate Limited Neer, Delhi pp 44
21. ए० एस० नारंग, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'', गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस संस्करण 2023, पृ०सं० 54